R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

एमसीआईआर

खण्ड XIV ♦ अंक 4 ♦ अक्तूबर 2017

मौद्रिक नीति

चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017–18

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 04 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आयोजित अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर निर्णय लिया कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 6.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। परिणामस्वरूप, एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो दर 5.75 प्रतिशत पर, और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 6.25 प्रतिशत पर बरकरार रही।

एमपीसी का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुझान के अनुरूप है ,जिसका उद्देश्य वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +2/–2 प्रतिशत के दायरे में रखना भी है।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों पर वक्तव्य

मौद्रिक नीति संचरण में सुधार के लिए उपाय

मौद्रिक संचरण में सुधार के लिए आंतरिक अध्ययन समूह (अध्यक्ष: डॉ.जनक राज) ने समयबद्ध तरीके से आधारभूत दर / एमसीएलआर जैसे आंतरिक बेंचमार्क से बाहरी बेंचमार्क के लिए स्विच ओवर की सिफ़ारिश की है। निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली के सीमांत लागत के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के का गठन किया गया था । समूह ने 25 सितंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्टूबर 2017 को आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) प्रणाली की सीमांत लागत के कार्य की समीक्षा करने के लिए आंतरिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट को अपने वेबसाईट पर रखा है। अध्ययन समूह की रिपोर्ट पर टिप्पणियों को प्रधान परामर्शदाता, मौद्रिक नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 24वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को डाक या ईमेल (helpmpdrbi.org.in) द्वारा 31 अक्टूबर 2017 तक भेजा जा सकता है।

बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 04 अक्टूबर 2017 को

- 14 अक्तूबर 2017 से शुरू होने वाले पखवाड़े से बैंकों के निवल मांग और मीयादी देयताएँ (एनडीटीएल) को 20.0 प्रतिशत से 19.50 प्रतिशत तक कर सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 50 आधार अंक कम किया। बैंकों की एनडीटीएल में 'हेल्ड टू मैच्योरिटी' (एचटीएम) के तहत एसएलआर प्रतिभूतियों की अधिकतम सीमा को भी चरणबद्ध तरीके से 20.25 प्रतिशत से 19.50 प्रतिशत तक, अर्थात, 31 दिसंबर 2017 तक 20.00 प्रतिशत और 31 मार्च 2018 तक 19.50 प्रतिशत घटा दिया जाएगा।
- श्री यशवंत एम. देवस्थली की अध्यक्षता में भारत के लिए सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) पर एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन करने का निर्णय लिया।
- बैंकों को सूचित किया कि किसी भी बैंक से 5 करोड़ रूपए और उससे अधिक के कुल निधि–आधारित और गैर–निधि आधारित जोखिम वाले कॉरपोरेट उधारकर्ताओं के लिए विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलआईआई) पंजीकरण प्राप्त करना और सेंट्रल रिपोजिटरी आफ इन्फरमेंशन आन लार्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) में इसे अधिकृत करना अनिवार्य बनाया जाए।
- सभी सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाता खोलने और सीआरआर बनाए रखने के लिए नियामक मानदंडों में कुछ ढ़ील दी गई।
- बैंकों को वरिष्ठ की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुस्पष्ट यंत्रणा (जैसेकि कतार की,बैठने की अलग व्यवस्था) तैयार करने का निर्देश दिया जाए ताकि वे अपने को हाशिए पर न पाएं। इस संदर्भ में शिकायतों पर ध्यान देने के लिए लोकपाल को भी सलाह दी गई।

वित्तीय बाजार

- रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया गया कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित वित्तीय बाजार साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा।

विषय सूची

	पृष्ठ
मौद्रिक नीति	
• चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017–18	1
बैंकिंग विनियमन	
• सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना और धारिताएं	2
• सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन	2
• **आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है**	2
वित्तीय बाजार विनियमन	
• इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क	3
सरकारी और बैंक लेखा	
• स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, 2015	3
विदेशी मुद्रा प्रबंध	
• हेजिंग ट्रेड एक्सपोजर के लिए सुविधाएं	3
मुद्रा प्रबंधन	
• दंडात्मक योजना	3
• मुद्रा तिजोरी की विलम्ब से सूचना देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना	4
• **बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार**	4

- ''खुदरा उपयोगकर्ता'' (लेन-देन आकार के संदर्भ में परिभाषित किया जाना) के लिए मूल्य निर्धारण के परिणाम में सुधार के लिए एक यंत्ररचना प्रस्तावित की गई है जिसके तहत ग्राहकों को अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करके सीधे बाजार में ग्राहक मूल्य निर्धारण निर्धारित किया जाता है, जहां ग्राहक और अधिकृत डीलर बैंक से प्राप्त बोली / ऑफर का गुमनाम रूप से और स्वचालित रूप से मिलान किया जा सकता है। क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) एक इंटरनेट-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से अपने मंच FX-CLER तक पहुंच विकसित करेगा।
- रिजर्व बैंक ने अनिवासी आयातकों और निर्यातकों (एनआरआईई) को अपने केन्द्रीय राजकोष / समूह संस्थाओं के माध्यम से अपने आईएनआर एक्सपोज़र को हेज करने के लिए निवासियों के साथ रुपया चालान व्यापार लेनदेन करने की अनुमति दी। इससे व्यापारिक लेनदेनों में रुपए के चालान को प्रोत्साहित करके और अनिवासियों को तटवर्ती आईएनआर जोखिम के लिए हेज करने के लिए प्रोत्साहित करके रुपया के अंतर्राष्ट्रीयकरण को सुगम बनाने की उम्मीद है।
- रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया गया है कि (i) एक लघु विक्रेता को 'नोशनल शॉर्ट सेल' के लिए प्रतिभूतियां उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, जहां बैंकों द्वारा व्यापार के लिए/ बिक्री के लिए/ परिपक्वता पोर्टफोलियो में धारित करने के लिए प्रतिभूति उधार लेने की आवश्यकता होती है और, (ii) एफपीआई द्वारा ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) जी-सेक लेनदेन टी+1 या टी+2 के आधार पर निपटारे के लिए अनुबंधित किए जा सकते है।
- राज्यों द्वारा बाजार से उधार कार्यक्रम के विकास के एक भाग के रूप में निम्न उपाय प्रस्तावित किए गए है :

i) एसडीएल में पुनर्वित्त और बायबैक के माध्यम से तरलता में सुधार के लिए राज्य सरकार के कर्ज का एकीकरण किया जाए, ताकि रिडीम्पशन के दबावों को कम करके शेष परिपक्वता को बढ़ाया जा सके।

ii) साप्ताहिक आधार पर एसडीएल की नीलामी आयोजित की जाए और नीलामी के परिणामों को उसी दिन 3.00 बजे तक घोषित किया जाए।

iii) रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध राज्य सरकारों के वित्त से संबंधित उच्च बारंबारता के आंकडों को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

भुगतान और निपटान

रिजर्व बैंक ने कि परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों को युक्तिसंगत बनाने निर्णय लिया ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने के अलावा प्रतिस्पर्धा,नवीनता को प्रोत्साहित करते हुए संचालन की सुरक्षा को मजबूत किया जाए। देश में भुगतान और निपटान प्रणाली की परिकल्पना के अनुसार, संशोधित ढांचा पीपीआई के उपयोग में अंतर-परिचालन लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। केवाईसी अनुरूप पीपीआई के बीच अंतर-परिचालन, संशोधित मास्टर दिशानिर्देश जारी करने की तारीख से छह महीनों के भीतर लागू किए जाएंगे।

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41852)(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41855)(https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41863)(https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42056)

बैंकिंग विनियमन

सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बनाए रखना और धारिताएं

रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 अक्तूबर, 2017 को बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) इन बैंकों की निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 20.0 प्रतिशत से घटाकर 14 अक्तूबर 2017 से आरंभ होने वाले पखवाड़े से 19.5 प्रतिशत कर दिया।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंक अपने निदेशक मंडल की अनुमति से परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/से निवेश को वर्ष में एक बार अंतरित कर सकते हैं, तथा ऐसे अंतरण सामान्यतया लेखा वर्ष के आरंभ में करने की अनुमति दी जाएगी। उपर्युक्त अनुदेशों का पालन करने के लिए बैंक अपनी अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां एचटीएम श्रेणी से एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित कर सकें, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है कि अतिरिक्त प्रतिभूतियों के ऐसे अंतरण तथा एचटीएम श्रेणी से प्रत्यक्ष विक्रय की अनुमति दी जाए। यह अनुमति लेखा वर्ष की शुरुआत अर्थात अप्रैल महीने में दी जाने वाली अंतरण की अनुमति के अतिरिक्त होगी। बैंकों के निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदंड पर जारी विनियामक अनुदेशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर प्रतिभूतियों को घटाने के लिए अपेक्षित सीमा तक, एचटीएम श्रेणी से/में प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण के मूल्य पर निर्धारित 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में एएफएस/एचएफटी श्रेणी में किए गए ऐसे अंतरण तथा एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों के विक्रय को शामिल नहीं किया जाएगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11136Mode=0)

सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्चस्तरीय कार्यदल

23 अक्टूबर 2017 को रिज़र्व बैंक ने भारत के लिए सार्वजनिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) पर एक उच्चस्तरीय कार्यदल का गठन श्री वाय.एम.देवस्थली, पूर्व सीएमडी, एल एंड टी फायनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड की अध्यक्षता में किया। कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

i) भारत में क्रेडिट की मौजूदा उपलब्धता की समीक्षा करना ;

ii) भारत में अंतरालों का मूल्यांकन करना ताकि एक व्यापक पीसीआर से उनकी पूर्ति की जा सके;

iii) पीसीआर पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन करना:

iv) व्यापक पीसीआर के दायरे/लक्ष्य को निर्धारित करना: क्रेडिट का कट ऑफ यदि कोई हो; के विस्तार के साथ जानकारी को शामिल करना,

v) यह तय करना कि व्यापक पीसीआर प्राप्त करने के लिए नई सूचना प्रणाली की संरचना की जाए या मौजूदा सिस्टम को मजबूत/एकीकृत किया जाए ; और

vi) भारत के लिए एक पारदर्शी, व्यापक और निकट-वास्तविक समय पीसीआर विकसित करने के लिए, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सहित, एक रोडमैप का सुझाव देना।

कार्यदल का अपना सचिवालय सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग में होगा जो अपने गठन की तिथि से 6 माह की अवधि में अर्थात 4 अप्रैल 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay. aspx?prid=42037)

आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है

रिज़र्व बैंक 21 अक्तूबर 2017 को स्पष्ट किया कि, लागू मामलों में, 1 जून 2017 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित धन-शोधन निवारण रोकथाम (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत आधार संख्या को बैंक खाते में लिंक करना अनिवार्य है। इन नियमों का संवैधानिक प्रभाव है और ऐसे में बैंकों को अगले निर्देशों का इंतजार किए बिना उन्हें लागू करना होगा। यह स्पष्टीकरण तब जारी किया गया जब सूचना का अधिकार अधिनियम के जवाब के हवाले से मीडिया के कुछ हिस्सों में यह समाचार दिखाई दिया कि आधार संख्या को बैंक खातों के साथ लिंक करना अनिवार्य नहीं है। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=42024)

वित्तीय बाजार विनियमन

इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2017 को रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय बाजार के साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश जारी किए। बैंकों, बाजार सहभागियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर टिप्पणियां 10 नवंबर 2017 तक आमंत्रित की गई हैं।

ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रियाएं निम्न पते पर प्रेषित की जाएं : मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक,वित्तीय बाजार विनियमन विभाग,पहली मंज़िल, मुख्य भवन,शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई 400001 या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिकृत करने संबंधी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर प्रतिक्रिया विषय पंक्ति के साथ fmrdfeedbackrbi.org.in पर प्रेषित की जाएं।

पृष्ठभूमि

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में सुधार के लिए विनियामक पहलों, बाजार संरचना और प्रौद्योगिकीय उन्नति में बदलाव के लिए मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों पर ट्रेडिंग को दुनिया भर में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, लेनदेन के समय और लागत के संबंध में प्रभावी प्रसंस्करण, बाजार में कुरीतियों और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं को सरेखित करके जोखिम नियंत्रण में सुधार और बाजार निगरानी में मदद के रूप में कई लाभ प्रदान करते हैं। इन प्लेटफार्मों में बाजार तक पहुंच को व्यापक बनाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, पारंपरिक व्यापारिक पद्धतियों पर निर्भरता को कम करने और बेहतर मूल्य की खोज और बेहतर बाजार तरलता के कारण बाजार संरचना पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है।

वित्तीय साधनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) को अधिकृत करने के लिए रिज़र्व बैंक एक रूपरेखा तैयार करेगा जिसके व्यापक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) पारदर्शी व्यापार, सुरक्षित निपटान प्रणाली और साधनों के मानकीकरण के माध्यम से बाजार का विकास;
(ii) बाजारों में निष्पक्ष, न्यायसंगत, व्यवस्थित और गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच को बढ़ावा देना;
(iii) बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रभावी निगरानी और निगरानी के माध्यम से वित्तीय ईमानदारी सुनिश्चित करना; तथा
(iv) व्यापार संबंधी जानकारी के प्रसार में सुधार करना और इस प्रकार सूचना असमानता को कम करना।

सरकारी और बैंक लेखा

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 अक्टूबर 2017 को यह निर्णय लिया कि मध्यावधि और दीर्घावधि की सरकारी जमाराशियों (एमएलटीजीडी) के संबंध में बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों की केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए।

तदनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे जमाकर्ताओं को पहले से ही देय ब्याज की राशि का तुरंत भुगतान कर दें और इसे नोट कर लें कि भविष्य में जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान देय तारीख को ही कर दिया जाए। भुगतान करने के बाद बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर) के माध्यम से सरकार के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11149Mode=0)

विदेशी मुद्रा प्रबंध

हेजिंग ट्रेड एक्सपोजर के लिए सुविधाएं

भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के साथ भारतीय रुपयों में चालान किए गए, भारत से निर्यात और आयात करने वाले वास्तविक व्यापार लेनदेन से उत्पन्न होने वाले मुद्रा जोखिम को हेज करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2017 को मौजूदा मॉडल I मॉडल II के अनुसार भारत में एडी श्रेणी I बैंकों के साथ अनिवासियों की ओर से और उनके लिए अनिवासियों (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों) के केंद्रीय राजकोष (समूह का और समूह इकाई होने के नाते) को हेज करने की अनुमति प्रदान की है।

एडी श्रेणी-I बैंक निम्नलिखित के अनुसार मॉडल I या मॉडल II का चयन कर सकते हैं:।

मॉडल-I, जहां अनिवासी निर्यातक / आयातक या उसके केंद्रीय राजकोष (समूह का और समूह इकाई होने के नाते) अपने विदेशी बैंक (भारत में एडी बैंकों की विदेशी शाखाओं सहित) के माध्यम से काम कर रहा है;

मॉडल-II जहां अनिवासी निर्यातक / आयातक या उसके केंद्रीय राजकोष (समूह का और समूह इकाई होने के नाते) भारत में सीधे एडी बैंक के साथ काम कर रहा है;

पृष्ठभूमि

अनिवासियों को भारत में एडी श्रेणी ख बैंकों के साथ भारत में आईएनआर चालान निर्यात और आयात को करने से होने वाली मुद्रा जोखिम को हेज करने की अनुमति थी। (https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11144Mode=0)

मुद्रा प्रबंधन

दंडात्मक योजना

रिज़र्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2017 को मास्टर परिपत्र जारी किया जो आमजनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कार्यनिष्पादन के आधार पर बैंक शाखाओं के लिए दंडात्मक योजना पर है। यह योजना बनाने के का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी बैंक शाखाएं स्वच्छ नोट नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नोटों और सिक्कों के विनिमय के संबंध में आम जनता को बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराएं।

दंड

नोटों और सिक्कों के विनिमय/रिज़र्व बैंक को भेजे जाने वाले विप्रेषण/करेंसी तिजोरियों के परिचालन में आने वाली कमियों के लिए बैंकों पर लगाए जाने वाले दंड निम्नानुसार होंगे :-

- गंदे नोट प्रेषणों और मुद्रा तिजोरी शेषों में कमी पर हानि के अतिरिक्त ₹ 50 मूल्यवर्ग के नोटों के लिए प्रति नोट ₹50 तक का दंड लगाया जाएगा।;
- ₹ 100 या इससे ऊपर के मूल्यवर्ग नोटों के लिए, हानि के अतिरिक्त प्रति नोट के मूल्यवर्ग के मूल्य के समान दंड लगाया जाएगा।

दोनों मामलों पर, प्रति प्रेषण 100 और ऊपर के नोटों की कमियों के लिए तत्काल नामे डाला जायेगा। संचित रूप से 100 नगों की सीमा तक पहुँचने पर दण्ड लगाया जाये।

- रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के गंदे नोट प्रेषण और करेंसी तिजोरियों की शेषराशि में नकली नोटों का पता लगाए जाने पर लगाया गया दंड यथानिर्धारित अनुसार वसूला जाएगा।
- गंदे नोटों के प्रेषण और करेंसी तिजोरी के शेष में चिह्नित कटे-फटे नोटो के लिए, प्रति नग ₹ 50 का दंड लगाया जाएगा, चाहे मूल्यवर्ग कुछ भी हो। प्रति

प्रेषण 100 या इससे अधिक कटे-फटे नोटों को तत्काल नामे डाला जाएगा। संचित रूप से 100 नग की सीमा पर पहुंचने पर दंड लगाया जाएगा।

- (क) सीसीटीवी का कार्य नहीं करना, (ख) सुरक्षा कक्ष (स्ट्रोंग रूम) में रखी बैंक की नकदी/दस्तावेज और (ग) नोटों की छंटनी के लिए नोट सोर्टिंग मशीनों (एनएसएम) का उपयोग नहीं किये जाने के मामले में परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पालन नहीं करना जिसका पता रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा लगाया गया है, के मामले में प्रत्येक अनियमितता के लिए ₹ 5000 का दंड लगाया जाएगा। बार-बार ऐसा होने पर दंड को बढ़ाकर ₹ 10,000 कर दिया जाएगा और यह तत्काल वसूला जाएगा।
- रिज़र्व बैंक के साथ किए गए करार (करेंसी तिजोरी खोलने और अनुरक्षित रखने के लिए) की किसी भी शर्त के उल्लंघन या विनिमय सुविधाएं उपलब्ध कराने में सेवा में कमी के लिए, जिसका रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा पता लगाया गया हो, करार की किसी शर्त का उल्लंघन करने या सेवा में कमी क लिए ₹ 10,000 का दंड लगाया जाएगा और यदि शाखा द्वारा करार के उल्लंघन/सेवा में कमी की पांच से अधिक घटनाएं हो जाती हैं तो ₹ 5 लाख का दंड लगाया जाएगा। इस प्रकार की दंड वसूली को सार्वजनिक डोमेन में डाला जाएगा।

सक्षम और अपीलीय प्राधिकारी

अनियमितता का स्वरूप निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग का प्रभारी अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होगा जिसके क्षेत्राधिकार में चूककर्ता मुद्रा तिजोरी/बैंक शाखा स्थित है और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक अपीलीय प्राधिकारी है।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11147Mode=0)

मुद्रा तिजोरी की विलम्ब से सूचना देने पर दंडात्मक ब्याज लगाना

बैंकों के बीच में मुद्रा तिजोरी संव्यवहारों की सही तथा समयानुसार अनुशासित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 12 अक्टूबर 2017 को सूचित किया है कि मुद्रा तिजोरियां आईकॉम्ज के माध्यम से अपने समस्त लेनदेनों की सूचना अपने संबंधित संपर्क कार्यालयों को अनिवार्यत: उसी दिन सिक्योर्ड वेबसाइट(एस डब्लू एस) पर अपलोड करके अधिकतम रात 9 बजे तक दें तथा संपर्क कार्यालयों द्वारा समेकित स्थिति की सूचना अनिवार्यत: उसी दिन रात्रि 11 बजे तक निर्गम कार्यालयों को देनी होगी। उप कोषागार कार्यालय (एसटीओ) अपने समस्त लेनदेनों की सूचना सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालय को उसी दिन रात्रि 11 बजे तक दें। सामान्य/विशेष हड़ताल की स्थिति में, सूचना देने की अवधि में छूट देने पर प्रत्येक मामले में अलग -अलग विचार किया जाएगा।

विलंब के लिए दण्डात्मक ब्याज लगाना

मुद्रा तिजोरी की लेनदेनों की विलंब से सूचना देने के मामलों में विलंब की अवधि के लिए, दण्डात्मक ब्याज, तिजोरी वाले बैंक से प्राप्य राशि पर लगाया जायेगा।

गलत सूचना देना और दण्डात्मक ब्याज लगाया जाना

गलत सूचना देने के सभी मामलों में भी रिज़र्व बैंक से संशोधित सूचना प्राप्त होने की तारीख तक की अवधि के लिये उपर्युक्त की भाँति दण्डात्मक ब्याज लगाया जायेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक को गंदे नोटों के विप्रेषण/ अन्य मुद्रा तिजोरियों को किये गये विपथन की रिपोर्टिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गए गंदे नोटों के विप्रेषण/ अन्य मुद्रा तिजोरियों को किये गये विपथन को तिजोरी/रियों/संपर्क कार्यालयों द्वारा आहरण के रूप में नहीं दिखाना चाहिये । यदि ऐसे प्रेषणों को गलती से आहरण के रूप में दिखाया जाता है तो, विप्रेषण मूल्य/ गलत सूचना की अवधि का विचार किये बिना ₹ 50,000/का दंड लगाया जायेगा । आईकॉम्ज में विपथन/नों की सूचना देने के मामले में, यह सूचित किया जाता है कि उन्हें विलम्ब किए बिना तिजोरी पर्ची में निर्धारित कॉलम में नहीं दर्शाना चाहिये ।

दंडात्मक ब्याज की अधिकतम राशि

चूंकि मुद्रा तिजोरी के लेन-देनों की सही और समय पर सूचना सुनिश्चित करना उद्देश्य है, अत: लेन-देन की राशि/दंडात्मक ब्याज की राशि पर ध्यान दिए बिना, निकटतम रुपए में दंडात्मक ब्याज़ की राशि को पूर्णांकित करते हुए सभी प्रयोज्य मामलों में दंडात्मक ब्याज वसूल किया जायेगा।

मुद्रा तिजोरी शेषों में अपात्र राशियों के समावेश पर दंडात्मक ब्याज

ऐसे सभी मामलों में दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा जहाँ पर गलत सूचना देने/ विलम्ब से सूचना देने/सूचना न देने के कारण बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक में उसके चालू खाते में 'अपात्र' क्रेडिट का लाभ उठाया हो।

अभ्यावेदन

चूंकि विलम्ब से सूचना के मामलों में दिनों की संख्या दंडात्मक ब्याज लगाये जाने का मुख्य मानदंड है, अत: सामान्यतः बैंकों के लिये इस बात की गुंजाइश नहीं बचती कि वे किसी मामले में रिज़र्व बैंक के निर्णय पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध करें । तथापि, खासकर पहाड़ी/दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित मुद्रा तिजोरियों/प्राकृतिक आपदाओं आदि से पीड़ित अन्य मुद्रा तिजोरियों के अभ्यावेदन यदि कोई हों, तो वास्तविक कठिनाइयों के आधार पर, उन अभ्यावेदनों को संबधित निर्गम कार्यालय को संबंधित बैंक को नामे करने की तारीख से 1 महीने के भीतर उस बैंक के प्रधान /नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से भेजा जा सकता है ।

(https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11148Mode=0)

बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार

बैंकिंग हिंदी में मौलिक लेखन और शोध को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'बैंकिंग हिंदी क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखन के लिए पुरस्कार योजना' शुरू की गई है।

इस योजना के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों (सहायक और एसोसिएट प्रोफेसर, आदि सहित) को आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए ₹ 1,25,000.00 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के तीन पुरस्कार प्रदान किए जा सकते हैं। योजना के ब्योरे अनुलग्नक में दिए गए हैं। इस योजना में भाग लेने के इच्छुक सभी प्रोफेसरों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रविष्टियाँ निर्धारित प्रारूप में इस प्रकार भेजने की व्यवस्था करें कि वे 15 दिसंबर 2017 को अपराह्न 05.00 बजे तक या उससे पहले प्रभारी उप महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, दूसरी मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 को प्राप्त हो जाएं। (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=41984)

जोस जे. कट्टूर द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित । मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू www.mcir.rbi.org.in पर भी उपलब्ध है।